

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
( DEPARTMENT OF REVENUE )

New Delhi, dated the 24.2.98

NOTIFICATION

(INCOME TAX)

S.O.No. .... In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " Asian Institute of Transport Development , New Delhi " for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-02 subject to the following conditions namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business.

(H.K. CHAUDHARY)

Under Secretary to the Government of India.

Notification No. 10536  
To

(F.No.197/1/98-ITA-I )

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग 11, सण्ड 3, §ii§ में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

§राजस्व विभाग§

अधिसूचना


§आयकर§ नई दिल्ली, दिनांक 24.1.98

का.आ. सं. आयकर अधिनियम, 1961§1961 का 43§ की धारा 10 के सण्ड §23-ग§ के उपसण्ड §iv§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार फ्लटद्वारा " फिशियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपसण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

§1§ कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, -

§2§ कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा §5§ में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि §जेवर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रस-रखाव में स्वेच्छक अंशदान से भिन्न§ का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा, -

§3§ यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रसंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

  
§पंच0के0 चौधरी§

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं-10536

§फा0सं0 197/1/98--आयकर-1§

सेवा में,